[2021] 8 एस. सी. आर. 875

मितेश कुमार जे. शा

वी.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1285)

26 अक्टूबर, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-द्वारा शिकायत

अपील-आयोजितः तथ्यों से यह नहीं पता चलता कि अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार धोखे से या जानबूझकर अतिरिक्त फ्लैटों को बेचने की कोशिश की-हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एकल तथ्यात्मक आधार एक ऐसे विवाद को जन्म दे सकता है जो नागरिक और आपराधिक दोनों प्रकृति का हो, जिसमें से प्रत्येक को दूसरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ाया जा सकता है-तत्काल मामले में, वास्तविक प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह नहीं था कि क्या उपस्थिति में एक आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दीवानी मुकदमे का, लेकिन क्या एक आपराधिक मामले के लिए प्रासंगिक तत्व भी प्रथम दृष्टया बनाए गए थे-तथ्यों के आधार पर, स्पष्ट रूप से विश्वास के आपराधिक उल्लंघन या धोखाधड़ी के संबंध में कोई ठोस मामला नहीं है

विवाद को अनुबंध के उल्लंघन से जुड़ा विवाद कहा जा सकता है केवल अनुबंध के उल्लंघन से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, यही वह समय है जब अपराध किया गया था-इसलिए, यह इरादा है जो अपराध का सार है-इसे लागू करना तत्काल तथ्यात्मक मैट्रिक्स के लिए डिक्टम, होने का प्रमुख घटक

एसएस के तहत बेईमान या धोखाधड़ी का इरादा। 405 , 419 और 420 नहीं बनाया गया-अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 405 , 419 और 420।

विधि प्रक्रिया का दुरुपयोगः किसी नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देना, केवल एक नागरिक विवाद के विपरीत एक आपराधिक मामले में दी गई अपेक्षाकृत त्वरित राहत का लाभ उठाने के लिए किया गया-ऐसी कवायद कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए-दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 – s.482।

21] 8 एस सी आर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थियों के खिलाफ की गई शिकायत वह है जिसमें आपराधिक उल्लंघन के अपराध शामिल हैं।

विश्वास और धोखाधड़ी। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया जाता है।

बेईमानी के इरादे से अपने स्वयं के उपयोग के लिए दूसरे की संपत्ति का दुरुपयोग या रूपांतरण, दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत परिभाषित अपराध के रूप में धोखाधड़ी भी, बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे का एक घटक शामिल है जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना है। दोनों खंड स्पष्ट रूप से

कथित अपराधों को प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में 'बेईमान इरादा' निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, पक्षों द्वारा की गई प्रासंगिक दलीलों का आकलन करने के लिए, यह सवाल कि क्या अपीलकर्ताओं की कार्रवाई एक बेईमान या धोखाधड़ी योजना को आगे बढ़ाने में की गई थी, वह जांच की आवश्यकता है। [पैरा 28] [888-सी-ई]

1.2 ऐसे तथ्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर, किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने भ्रामक रूप से या

जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तर्क दिया है, जानबूझकर अतिरिक्त फ्लैटों को बेचने का प्रयास किया। जी. पी. ए. के निरसन के बाद, यह अपीलार्थी ही थे जिन्होंने पहले पक्षों के बीच विवाद के निवारण के लिए 02.03.16 पर मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लिया था, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तदनुसार दिनांक 09.03.16 पर अपनी आपत्तियों का बयान दायर किया था। यह केवल 29.03.16 पर ही था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध संख्या 185/2016 वाली प्रश्नगत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा, यह प्रतिवादी संख्या 2 था जिसने अपीलकर्ताओं द्वारा चार अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री के संबंध में अपनी प्रार्थना वापस ले ली थी, केवल दीवानी कार्यवाही में इसे आगे बढ़ाने के लिए। [पैरा 35] [889-एफ-एच]

1.3 हालाँकि, शायद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक एकल तथ्यात्मक आधार एक ऐसे विवाद को जन्म दे सकता है जो नागरिक और आपराधिक दोनों प्रकृति का हो, जिनमें से प्रत्येक को दूसरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। तत्काल मामले में, वास्तविक प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह नहीं है कि क्या कोई अपराधी है।

एक दीवानी मुकदमे की उपस्थिति में मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या मितेश कुमार जे. शा बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

आपराधिक मामले के लिए प्रासंगिक सामग्री भी प्रथम दृष्टया बनाई जाती है। तथ्यों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से विश्वासघात या धोखाधड़ी के आपराधिक संबंध में कोई ठोस मामला नहीं बनता है। पक्षों के बीच विवाद को केवल अनुबंध का उल्लंघन करार दिया जा सकता है। [पारस 37,38] [890-बी-डी] 2. यह न्यायालय हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य के मामले में है। वी. बिहार राज्य ने पाया है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि

लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को दिखाया जाता है, यह वह समय होता है जब अपराध को किया गया कहा जाता है। इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है। इस उक्ति को तत्काल तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू करना जहां धारा 405,419 और 420 के तहत बेईमान या धोखाधड़ी का इरादा रखने का प्रमुख घटक नहीं बनाया गया है, वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। [पारस 39,40] [890-ई-एच; 891-ए-बी]

* हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्र। (2000) 4 एससीसी 168: [2000] 2 एससीआर 859-निर्भर

पर

3. अपीलार्थियों के खिलाफ बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे का अस्तित्व नहीं बनाया गया है। यद्यपि तत्काल विवाद में निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों का निर्धारण शामिल है जो नागरिक प्रकृति के हैं, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ने कई दीवानी मुकदमे भी दायर किए हैं, कोई भी विवाद को किसी भी हद तक नहीं बढ़ा सकता है, ताकि इसे आपराधिक रंग दिया जा सके। एक नागरिक विवाद की रूपरेखा को फैलाने का प्रयास किया गया है और इस तरह अनिवार्य रूप से इसे आपराधिक रंग दिया गया है। इस न्यायालय ने असंख्य उदाहरणों में एक नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है, जो केवल एक नागरिक विवाद के विपरीत एक आपराधिक मामले में दी गई अपेक्षाकृत त्वरित राहत का लाभ उठाने के लिए किया गया है। इस तरह का अभ्यास और कुछ नहीं बल्कि प्रक्रिया का दुरुपयोग है कानून जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। [पारस 41,45,47] [891-बी-सी; 893-एफ; 894-सी-डी]

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एम/एस। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एससीसी 736: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 704; जी. सागर सूरी और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2000) 2 एससीसी 636: [2000] 1 एस. सी. आर. 417; हरियाणा राज्य और अन्य।

[20

21] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. च. भजन लाल और ओआरएस। (1992) एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 426;

रणधीर सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। 2021 (12)

स्केल 55-पर भरोसा किया।

प्रो. आर. के. विजयसारथी और अन्र। वी. सुधा सीताराम और

एन. आर. (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 208; कर्नाटक राज्य बनाम। एम. देवेंद्रप्पा और अन्र. (2002) 3 एससीसी 89: [2002] 1

एस. सी. आर. 27; प्रीति सराफ और अन्र। वी. एन. सी. टी. दिल्ली और

एन. आर. 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 206; श्रीकृष्ण एजेंसियाँ वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। (2009) 1 एससीसी 69:

[2008] 16 एस. सी. आर. 20-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 1 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2008] 16 एससीआर 20

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2000] 2 एससीआर 859

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[2006] 3 पूरक। एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[2000] 1 एससीआर 417

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1285

उच्च न्यायालय के 13.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की आपराधिक याचिका No.2691 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, सुश्री राखी एम., वैभव

सभरवाल, सुश्री श्रुति अय्यर, सुश्री नेहा जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

13.08.2019 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर 2016 की आपराधिक याचिका संख्या 2691 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया (जिसे इसके बाद मितेश कुमार जे. शा बनाम के रूप में संदर्भित किया गया है।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

' सी. आर. पी. सी.) ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों को फंसाने वाली एफ. आई. आर. संख्या 185/2016 दिनांकित 29.03.2016 को चुनौती दी।

और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,419,420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ 6 वें अतिरिक्त सी. एम. एम., बेंगलुरु की फाइल पर 2017 की सी. सी. संख्या 20609 में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए। उच्च न्यायालय ने यहां दिए गए आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया।

3. इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील लंबित है, अपीलार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है और उसका नाम दिनांक 29.09.2021 के आदेश के माध्यम से हटा दिया गया है। द.

अतः इसमें प्रयुक्त 'अपीलार्थी' शब्द का अर्थ केवल अपीलार्थी संख्या 2 को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए।

तथ्य।

'बिल्डर कंपनी' के रूप में संदर्भित)। संपत्ति का विकास किया जाना था या तो पूरी तरह से आवासीय अपार्टमेंट के रूप में, या वाणिज्यिक परिसर के साथ आवासीय अपार्टमेंट के रूप में। संयुक्त विकास को आगे बढ़ाने के लिए

समझौता, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) भी उसी तारीख को निष्पादित किया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भी एक

अपीलार्थियों के साथ अनुपूरक समझौता जो अविभाजित क्षेत्र और अति-निर्मित क्षेत्र में उनके संबंधित शेयरों को निर्दिष्ट करता है। 5. इसके अलावा, 19.02.15 पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बिल्डर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया था, जिसके तहत

कंपनी को 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बेचने के लिए अधिकृत किया गया था। अविभाजित क्षेत्र और अति-निर्मित क्षेत्र में प्रत्यर्थी संख्या 2 के हिस्से में से। यह समझौता ज्ञापन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से उनके द्वारा उधार लिए गए ऋण का आंशिक भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, अपीलकर्ताओं को रुपये का भुगतान करके 15 फ्लैटों के लिए एनओसी प्राप्त करनी थी। 40,00,000 / - प्रत्येक फ्लैट के लिए।

6. एतऽ अपीलकर्तासभ एहि मोड़ पर तर्क दैत छथि कि पक्षकारसभक बीच मौखिक रूपसँ सहमति भेल छल जे कंपनी अपन हिस्सासँ अतिरिक्त फ्लैट, अर्थात् अतिरिक्त 8000 वर्ग किलोमीटर जमीन बेचिकऽ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेडकेँ कयल गेल भुगतानकेँ समायोजित करबाक हकदार होयत। आंशिक भुगतान के बदले में कंपनी के हिस्से को निर्मित क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उधार लिए गए ऋण का।

7. अंततः, प्रत्यर्थी सं। 2 , उक्त डेवलपर कंपनी ने इस प्रकार दो फ्लैटों के लिए बिक्री-विलेख निष्पादित किए, फ्लैट नं।

202 & 203 प्रत्यर्थी संख्या 2 की बेटी और दामाद के पक्ष में। कंपनी ने आगे एक अन्य फ्लैट नंबर 301 के लिए एक श्रीमती के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। यशोदा सुंदरराजन 27.08.15 पर।

8. इसके बाद, एक ईमेल के माध्यम से कंपनी ने उत्तरदाता को सूचित किया

नहीं। 2 6821 वर्ग कि. मी. वाले उपरोक्त फ्लैटों को निष्पादित और पंजीकृत करना। फीट। (8000 वर्ग किलोमीटर में से। फीट। संबंधित खरीदारों के पक्ष में दिनांक 19.02.15) के समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी को दिया गया और आगे रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को भुगतान करने के लिए। 2 अपीलार्थियों को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने जेडीए की शर्तों का पालन नहीं किया था और इसके परिणामस्वरूप जीपीए को रद्द कर दिया गया था।

9. पीड़ित कंपनी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत मध्यस्थता के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें निषेधाज्ञा रोकने का अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकारों को अलग करने या बनाने से। दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की जिसमें दावा किया गया कि फ्लैटों की बिक्री पक्षों के बीच सहमत हिस्से से अधिक थी। शिकायत (प्रतिवादी संख्या 2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, दो विवाद थे।

पहला, कि जी. पी. ए. कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी उक्त को नहीं बेच सकती थी।

अपार्टमेंट।
दूसरा, कंपनी द्वारा बेचे गए फ्लैट प्रत्यर्थी नं. 2'एस शेयर। फ्लैटों को कथित तौर पर अधिक बेचा गया था

संख्या. 02,301,304,404।

10. इस शिकायत के अनुसार, दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी संख्या 1 और 2 के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 185/2016 दिनांक 29.03.2016 दर्ज की गई थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 420 के तहत। अपीलकर्ताओं ने इस प्रकार कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सी. आर. पी. सी. की धारा 482 को लागू करने वाली उक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग की। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,419,420 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसे उक्त कार्यवाही में रद्द करने की भी मांग की गई थी।

11. इस बीच, मध्यस्थता कार्यवाही में, मध्यस्थ ने आंशिक रूप से अपीलार्थियों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के दावों की अनुमति दी। द. मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा जी. पी. ए. का एकतरफा निरसन। 2

यह अवैध था और कि कंपनी को बिक्री को प्रभावी बनाने का अधिकार था-मितेश कुमार जे. शा बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

समझौता ज्ञापन के संदर्भ में समझौते/बिक्री विलेख। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा चार अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री के सवाल के संबंध में, प्रश्न को मध्यस्थता निर्णय में अनुत्तरित छोड़ दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने वापस ले लिया था। उसके दावे ने लंबित दीवानी कार्यवाही के आलोक में लिखित प्रस्तुतियों के पैरा (ई), (एफ) और (जी) में उन कार्यवाही में मुद्दे को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ अनुरोध किया। विशेष रूप से पैरा (च) में प्रार्थनाः

' आवेदक/विकासकर्ता को फ्लैट संख्या 02,301,304 और 404 के वर्तमान निवासियों को बेदखल करने और हटाने और वितरित करने का निर्देश देना।

उक्त फ्लैटों का कब्जा, अंदरूनी हिस्सों को फिर से बनाना और नवीनीकृत करना, जैसे कि यह एक नया फ्लैट था, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ

उक्त फ्लैटों के संबंध में "।

12. पुरस्कार से व्यथित, प्रतिवादी नं। 2 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त पुरस्कार को चुनौती दी गई।

13. आखिरकार, रद्द करने की याचिका भी उच्च न्यायालय के समक्ष आई, जिसे इस संबंध में उस विवाद को देखते हुए निपटाया गया।

इसमें अपीलार्थियों द्वारा फ्लैटों के हस्तांतरण का मध्यस्थ द्वारा जवाब नहीं दिया गया है और यह पक्षों के बीच लंबित मध्यस्थता मुकदमे का विषय नहीं था। यह भी देखा गया कि चूंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ समझौता ज्ञापन की शर्तों के विपरीत फ्लैट बेचने के आरोप हैं, इसलिए मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। एतऽ अपीलकर्तासभ, एहि तरहेँ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के माध्यम सँ एहि न्यायालयक सम्पर्क कयलनि।

अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलें

14. इसमें अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि तत्काल मामले में घटनाओं का क्रम एक के आवश्यक अवयवों को पूरा नहीं करता है कथित अपराध, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 केवल एक नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि फ्लैटों के अलगाव के मुद्दे का मध्यस्थ द्वारा जवाब नहीं दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने लंबित दीवानी कार्यवाही में अपने मामले को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ मध्यस्थता कार्यवाही से उक्त फ्लैटों के संबंध में अपना दावा वापस ले लिया था। इसके अलावा, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने दीवानी मुकदमे के माध्यम से अपने दावे को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, इसलिए उसी मुद्दे पर आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

15. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों के बीच पूरा विवाद

यह पक्षकारों के बीच सहमत शेयर से अधिक फ्लैटों की कथित बिक्री से संबंधित है और यह कि शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक ऐसे विवाद के निपटारे के लिए दायर की गई है जो पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. अपीलकर्ताओं ने प्रो. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। आर. के. विजयसारथी और अन्र। बनाम सुधा सीताराम और

Anr.[1], उपरोक्त तर्क की पुष्टि करने के लिए। प्रासंगिक पैरास

जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

" 23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या एक मामला जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है। जहां आपराधिक अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री शिकायत को नंगे पढ़ने से नहीं बनाई गई है, तो अपराधी की निरंतरता

कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।

24. वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों के बेटे ने पहले के खिलाफ धन की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया है।

उत्तरदाता। मुकदमा लंबित है। प्रथम प्रतिवादी ने कथित लेन-देन की तारीख के छह साल बाद और मुकदमा दायर करने के लगभग तीन साल बाद अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत में दिए गए कथन, जो उसके चेहरे पर पढ़े जाते हैं, दंड संहिता के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा नहीं करते हैं। प्रथम प्रतिवादी द्वारा आवश्यक सामग्री के अभाव के बावजूद आपराधिक प्रकृति के नागरिक विवाद को छिपाने का प्रयास किया गया है।

यह एक आपराधिक अपराध है। अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत का दुरुपयोग होता है -

अदालती प्रक्रिया और रद्द किए जाने योग्य है। "

17. अपीलार्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने न तो समझौता ज्ञापन के निष्पादन से इनकार किया है और न ही इसके लिए अनुदान दिया है। अपीलार्थियों की कंपनी के विपणन अधिकार। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है

कि पूरक समझौते में भिन्नता के बाद से, 8000 वर्ग कि. मी. का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित करना। आंशिक भुगतान के बदले में याचिकाकर्ता कंपनी को

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के लेन-देन को आपराधिक अपराध के रूप में छिपाने का प्रयास किया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि जब से पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय किसी भी तरह से मध्यस्थ द्वारा किया गया था, इसलिए मौजूदा आपराधिक शिकायत को रद्द किया जा सकता है।

1 (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 208 मितेश कुमार जे. शा बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई दलीलें

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 जो इसके विपरीत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ

प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ताओं की डेवलपर कंपनी केवल 9 फ्लैट बेचने की हकदार है और उसने कुल 13 फ्लैटों के लिए एक बिक्री विलेख निष्पादित किया है। इसके अलावा 4 फ्लैटों (फ्लैट संख्या) की बिक्री। 002 , 301 , 304 & 404) 9 फ्लैटों से परे अपीलकर्ता कंपनी के हिस्से से अधिक है और इसलिए प्रतिवादी

नं. 2 को अपीलार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए विवश किया गया है।

19. प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थियों के इस तर्क पर अपनी आपत्ति में कि नागरिक विवाद को आपराधिक रंग दिया जा रहा है, कर्नाटक राज्य बनाम कर्नाटक राज्य के कथन पर भरोसा करते हुए। एम. देवेंद्रप्पा & Anr.[2], प्रस्तुत करते हैं कि इस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए कि क्या शिकायत में आपराधिक अपराध के तत्वों का वर्णन किया गया है या नहीं, और किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध बचाव पर नहीं, जो यदि मुकदमे में स्थापित हो जाता है तो उसे बरी कर दिया जा सकता है।

20. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी संपत्ति बेचने के बाद

जिसे वे बेचने के लिए अनधिकृत थे, केवल इस तर्क पर आपराधिक मामले से बच नहीं सकते हैं कि जिस व्यक्ति की संपत्ति बेची गई है, उसने उक्त संपत्ति की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया है। उत्तरदाता आगे इस पर निर्भर करता है प्रीति सराफ और अन्न में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और Anr.[3], जिसमें यह देखा गया था किः

" 32. तत्काल मामले में, शिकायत/एफ. आई. आर./आरोप-पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, हमारे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है। आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के तत्वों को आरोपों के आधार पर अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता है।

शिकायत/एफ. आई. आर./आरोप पत्र में। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि शिकायत में लगाए गए आरोप अन्यथा सही हैं या नहीं, इसका फैसला मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि एक उपाय है

अनुबंध या मध्यस्थता कार्यवाही के उल्लंघन के लिए प्रदान किया गया

अपीलार्थियों के कहने पर आरंभ किया गया, जो स्वयं न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता है कि सिविल उपचार ही एकमात्र उपाय है, और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत, किसी भी तरह से, धारा के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।

482 ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी.

2 2 (2002) 3 एस. सी. सी 89

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. हमने पक्षकारों की दलीलों, शिकायत/एफ. आई. आर./आरोप-पत्र और नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों का अध्ययन किया है और अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखा है। सुनने के बाद पक्षों के विद्वान वकील, हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले में शामिल मुद्दा ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपराधिक मुकदमे को शॉर्ट-सर्किट किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने अपराधी को खारिज करना उचित नहीं ठहराया

अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्यवाहियाँ। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से दो परिस्थितियों पर जोर दिया है, (i) यह अनुबंध के कथित उल्लंघन के कारण बेचने के लिए समझौते को समाप्त करने का मामला था और (ii) यह तथ्य कि मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई है -

याचिकाकर्ताओं। उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई दोनों कथित परिस्थितियाँ, हमारे विचार में, कानूनी रूप से अस्थिर हैं। वर्तमान शिकायत/एफ. आई. आर./आरोप-पत्र में वर्णित तथ्य वास्तव में वाणिज्यिक लेन-देन का खुलासा करते हैं लेकिन यह शायद ही कोई कारण हो।

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि धोखाधड़ी का अपराध इस तरह के लेन-देन से बच जाएगा। वास्तव में, कई बार, वाणिज्यिक लेन-देन के दौरान धोखाधड़ी का अपराध किया जाता है और आई. पी. सी. की धारा 415,418 और 420 के तहत चित्रण किए गए हैं। इसी तरह की टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा ट्रिसन केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य मामलों में की गई हैं।

ओआरएस। (ऊपर):

9. हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए समझौते में शामिल प्रावधान आपराधिक अभियोजन के लिए एक प्रभावी विकल्प है जब विवादित कार्य एक अपराध है। मध्यस्थता समझौते के उल्लंघन से प्रभावित पक्ष को राहत देने के लिए एक उपाय है, लेकिन मध्यस्थ किसी भी ऐसे कार्य का परीक्षण नहीं कर सकता है जो अपराध के बराबर हो, हालांकि वही कार्य समझौते के तहत किसी भी कार्य के निर्वहन से जुड़ा हो सकता है।

समझौता। इसलिए, वे उच्च न्यायालय के लिए शिकायत को सीमा से नीचे करने के लिए अच्छे कारण नहीं हैं। जाँच एजेंसी को आरोपों के पूरे दायरे में जाने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। इस तरह की जांच का पूर्व-प्रवर्तन केवल बहुत चरम मामलों में ही उचित होगा जैसा कि हरियाणा राज्य v में संकेत दिया गया है।

भजन लाल [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335] "। मितेश कुमार जे. शा बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

21. यह भी तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थियों द्वारा की गई निर्भरता प्रो. आर. के. विजयसारथी और अन्न बनाम।

सुधा सीताराम और Anr.[1]is गलत साबित हुए, क्योंकि उक्त मामले का फैसला विभिन्न तथ्यों पर किया गया था, जिसमें दीवानी कार्यवाही शुरू होने के तीन साल बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, और अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व भी नहीं बनाए गए थे।

शिकायत करें। इसके विपरीत, तत्काल मामले में, धारा 405 और 415 के तहत अपराध का गठन करने के लिए प्रासंगिक तत्व स्पष्ट रूप से बनाए गए हैं।

बाहर निकलें।

22. श्री कृष्ण एजेंसियों बनाम पर निर्भरता रखना। आंध्र प्रदेश राज्य और Anr.5, यह उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आगे तर्क दिया जाता है।

कि आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और उसके बाद मध्यस्थता की कार्यवाही हुई थी। उक्त निर्णय के पैरा 7 पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विशेष रूप से जोर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गतः

" प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से, जो प्रस्तुतियाँ थीं

उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया, जिसे दोहराया गया, जो, हालांकि, श्री अध्यारू द्वारा उद्धृत निर्णय को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य प्रतीत होता है। हमारा यह भी विचार है कि यदि दोनों उत्पन्न होते हैं तो आपराधिक कार्यवाही और दीवानी कार्यवाही को एक साथ जारी रखने पर कोई रोक नहीं हो सकती है।

कार्रवाई के अलग-अलग कारणों से। त्रिसुन्स में निर्णय

रासायनिक उद्योग का मामला (सुप्रा) पूरी तरह से शामिल प्रतीत होता है।

यह मामला भी "।

23. सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जो तर्क दिया गया है, वह है दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में कार्रवाई का कारण।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र हैं, अर्थात, समझौते के उल्लंघन के लिए दायित्व के लिए दायित्व से स्वतंत्र है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 415 के तहत अपराध करना। इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ इस तरह से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

24. यह आगे तर्क दिया जाता है कि 8000 वर्ग कि. मी. के संबंध में बिक्री विलेख। फीट।

क्षेत्र को अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त क्षेत्र को बेचने के लिए जी. पी. ए. नहीं दिया था। इसलिए, द्वारा की गई बिक्री

42019 एससीसी ऑनलाइन एससी 208

21] 8 एस सी आर।

अपने अधिकार से अधिक अपीलकर्ता गैरकानूनी है और इसका संकेत है

अपीलार्थियों का आपराधिक इरादा। इसके अलावा, अपीलार्थियों द्वारा बेचे गए कथित अतिरिक्त चार फ्लैटों को भी मध्यस्थता कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है और इसलिए अपीलार्थी यहां मध्यस्थता कार्यवाही पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से की गई दलीलें-राज्य

परिस्थितियों में स्पष्ट आरोप होने के कारण कि अपीलकर्ताओं ने बिना किसी अधिकार के उक्त फ्लैटों की बिक्री विलेख को निष्पादित किया था, मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,419 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के स्पष्ट तत्व बनाए गए हैं।

बाहर निकलें।

मुद्दे

26. अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों द्वारा यहाँ दी गई प्रासंगिक तथ्यों और तर्कों को हमारी सुविचारित राय में पढ़ने के बाद, निम्नलिखित तीन प्रमुख मुद्दों को तत्काल मामले में निर्धारण की आवश्यकता होती है:

क्या धारा 406,419 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया बनाए गए हैं?

क्या अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री, भले ही की गई हो, एक

केवल अनुबंध का उल्लंघन या एक अपराध है

धोखाधड़ी?

क्या विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है?

क्या अपराधों के आवश्यक तत्व दंडनीय हैं

धारा 406,419 और 420 के तहत प्रथम दृष्टया बनाया गया है?

अपराधों के तत्व जिन पर यहाँ अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था के साथ, प्रथम दृष्टया बनाए गए हैं। संबंधित खंड इस प्रकार हैं:

" 405. विश्वास का आपराधिक उल्लंघन-जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, तेश कुमार जे. शा बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटान करता है जो उस विधि का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के न्यास का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन है।

या निहित, जिसे उसने ऐसे न्यास के निर्वहन को छूते हुए बनाया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करता है, "विश्वास का आपराधिक उल्लंघन" करता है।

[स्पष्टीकरण [1]। - एक व्यक्ति, जो एक नियोक्ता है [कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है या नहीं], जो कर्मचारी के योगदान को भविष्य निधि या परिवार पेंशन कोष में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय मजदूरी से काटता है।

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसके द्वारा इस प्रकार काटे गए अंशदान की राशि सौंपी गई है और यदि वह ऐसे अंशदान के भुगतान में चूक करता है।

उक्त कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त निधि में योगदान, यह माना जाएगा कि उसने कानून के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उक्त योगदान की राशि का बेईमानी से उपयोग किया हैः

उपरोक्त।] [स्पष्टीकरण 2. - एक व्यक्ति, एक नियोक्ता होने के नाते, जो वेतन से कर्मचारियों के योगदान की कटौती करता है।

कर्मचारी राज्य द्वारा आयोजित और प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा कोष में ऋण के लिए कर्मचारी को देय

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के तहत स्थापित बीमा निगम को उसके द्वारा इस तरह से काटे गए योगदान की राशि सौंपी गई मानी जाएगी और यदि वह इस तरह के भुगतान में चूक करता है।

उक्त अधिनियम के उल्लंघन में उक्त निधि में योगदान, कानून के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उक्त योगदान की राशि का बेईमानी से उपयोग किया गया माना जाएगा

उपरोक्त।]

406. विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए सजा-जो कोई भी विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

419. प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड-जो कोई भी प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए या तो डी-स्क्रिप्शन के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह धोखा देने वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या जो कुछ भी हस्ताक्षरित या सील किया गया है, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। "

28. तत्काल मामले में, यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ की गई शिकायत वह है जिसमें आपराधिक उल्लंघन के अपराध शामिल हैं।

विश्वास और धोखाधड़ी। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, दुरुपयोग या

बेईमानी के इरादे से अपने उपयोग के लिए दूसरे की संपत्ति का रूपांतरण, दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत परिभाषित अपराध के रूप में धोखाधड़ी भी शामिल है।

बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए दूसरे पक्ष को प्रेरित करना है। दोनों खंड। स्पष्ट रूप से निर्धारित 'बेईमान इरादे', यहां तक कि प्रथम दृष्टया उक्त अपराधों को करने की स्थापना के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में। अतः इसके लिए

इसमें पक्षों द्वारा की गई प्रासंगिक दलीलों का आकलन करने के लिए, यह सवाल कि क्या अपीलकर्ताओं की कार्रवाई किसी बेईमान या धोखाधड़ी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, जांच की आवश्यकता है।

29. हाथ में मामले के तथ्यों पर आते हुए, पक्षों के बीच विवादित विवाद यह है कि बिल्डर कंपनी ने जेडीए और पक्षों के बीच किए गए पूरक समझौते के संदर्भ में अपने हिस्से से अधिक चार अतिरिक्त फ्लैट बेचे थे। प्रतिवादी संख्या 2 का तर्क है कि बिल्डर कंपनी जो अपने पक्ष में केवल 9 फ्लैट बेचने की हकदार थी, ने इसके बजाय कुल 13 फ्लैटों के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया है। इस प्रकार कंपनी ने केवल 9 फ्लैटों से परे फ्लैटों को नहीं बेचा जा सकता था, जिसके लिए यह अधिकृत था और इसके परिणामस्वरूप केवल इस आधार पर आपराधिक दायित्व से बचा नहीं जा सकता है कि पक्षों के बीच एक नागरिक विवाद पहले से ही लंबित है।

30. दूसरी ओर अपीलकर्ताओं का तर्क है कि दिनांक 19.02.15 के बाद के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हुई थी।

पक्षकार, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उधार ली गई ऋण राशि के लिए आंशिक भुगतान, दोनों पक्षों द्वारा शुरू की गई उक्त विकास परियोजना की बिक्री आय से किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने रुपये का भुगतान करके 15 फ्लैटों के लिए एनओसी प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। 40,00,000 / - प्रत्येक फ्लैट के लिए।

मितेश कुमार जे. शा बनाम। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

कि अपीलार्थी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की ओर से किए गए भुगतान के समायोजन के रूप में अपने हिस्से से अधिक अतिरिक्त फ्लैट बेचने के हकदार होंगे। प्रत्यर्थी सं. 2. यह आगे तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अंततः जेडीए और जीपीए को एक अनुसमर्थन विलेख निष्पादित करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, जिसने औपचारिक रूप से अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त बेचने के लिए अधिकृत किया होगा।

अपार्टमेंट। 32. फिर भी, अनुसमर्थन विलेख कभी नहीं किया गया और उत्तरदाता संख्या 2 ने बाद में जी. पी. ए. को एकतरफा रूप से रद्द कर दिया।

यह तर्क देते हुए कि जेडीए की शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

33. जी. पी. ए. को निरस्त करने के बाद ही कंपनी ने एक याचिका दायर की थी।

रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग करने वाले मध्यस्थता के लिए आवेदन

प्रत्यर्थी संख्या 2 विवादित संपत्ति को अलग करने से। साथ ही, जब यह विवाद मध्यस्थ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार, अतिरिक्त फ्लैटों को बेचने का प्रयास किया गया। यहाँ, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जी. पी. ए. के निरसन के बाद, यह अपीलकर्ता ही थे जिन्होंने पहली बार पक्षों के बीच विवाद के निवारण के लिए 02.03.16 पर मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लिया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने तदनुसार दिनांक 09.03.16 पर अपनी आपत्तियों का बयान दायर किया था। यह केवल 29.03.16 पर ही था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध संख्या 185/2016 वाली प्रश्नगत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा, यह प्रतिवादी संख्या 2 था जिसने अपीलकर्ताओं द्वारा चार अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री के संबंध में अपनी प्रार्थना वापस ले ली थी, केवल दीवानी कार्यवाही में इसे आगे बढ़ाने के लिए।

क्या अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री, भले ही की गई हो, केवल अनुबंध का उल्लंघन है? 39. यह न्यायालय हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य के मामले में है। बनाम बिहार राज्य और Anr.6 ने देखा हैः

" 15. ..... कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर ठीक है। यह उस समय अभियुक्त के प्रलोभन के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इस बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, यह वह समय है जब अपराध को किया गया कहा जाता है। इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखा देने का दोषी ठहराना है

यह दिखाने के लिए आवश्यक है कि उसने धोखाधड़ी या बेईमानी की थी

प्रतिज्ञा करते समय इरादा।

6 (2000) 4 एस. सी. सी. 168 मितेश कुमार जे. शा बनाम। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

405 , 419 और 420 तैयार नहीं किया गया है, हमारे विचार में मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्या विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है?

41. पक्षकारों की सुसंगत दलीलों और इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि

अपीलार्थियों के खिलाफ बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा नहीं बनाया गया है। हालांकि तत्काल विवाद में निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प शामिल है

ऐसे मुद्दे जो नागरिक प्रकृति के हैं, जिनके अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कई दीवानी मुकदमे भी दायर किए हैं, कोई भी किसी भी तरह से विवाद को उस हद तक नहीं बढ़ा सकता है, ताकि इसे आपराधिक रंग दिया जा सके। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एक टिप्पणी के माध्यम से सही रूप से जोर दिया गया है

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम मेसर्स के मामले में। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड & Ors.7, निम्नानुसारः

" 14. जबकि वैध कारण या शिकायत वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कानून में उपलब्ध उपचार की मांग करने से रोका नहीं जाना चाहिए,

अनुचित और उसका उपाय केवल नागरिक कानून में निहित है, चाहिए स्वयं को जवाबदेह बनाया जाए, इस तरह की गलत धारणा के अंत में

कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही "।

42. यह भी देखा गयाः
" 13. जबकि इस मुद्दे पर, विशुद्ध रूप से दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की व्यावसायिक हलकों में बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचलित धारणा के कारण है कि नागरिक कानून उपचार समय लेने वाले हैं और ऋणदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। एक धारणा यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति

किसी भी तरह से आपराधिक अभियोजन में उलझ सकता है, आसन्न निपटान की संभावना है। दीवानी विवादों और दावों को निपटाने का कोई भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव डालना चाहिए अपमानित और हतोत्साहित "।

7 (2006) 6 एससीसी 736 [2021] 8 एस. सी. आर.

43. इससे पहले के अवसर पर, जी सागर सूरी और अन्न के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.[3], इस न्यायालय ने यह भी कहा हैः

" 8. संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को मामले की सतही जांच नहीं करनी है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या किसी मामले को, जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, आपराधिक अपराध का कवच दिया गया है। आपराधिक कार्यवाही कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। प्रक्रिया जारी करने से पहले एक आपराधिक अदालत को बहुत सावधानी बरतनी होती है। अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला है। इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। रोकने के लिए इस धारा के तहत अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्यथा सुरक्षा के लिए

न्याय का अंत "।

44. इसके अलावा, हरियाणा राज्य के ऐतिहासिक निर्णय में एस। बनाम Ch. भजन लाल और अन्य। ' सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित आर. एस. के प्रयोग के संबंध में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित उदाहरण निर्धारित किए हैं जिनमें न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये हैं:

" (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं; (2) जहाँ एफ. आई. आर. के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, पुलिस द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

कोड का; (3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और यह साबित करते हैं कि

अभियुक्त के खिलाफ मामला;

(घ) 2 एस. सी. सी. 636

2) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 426 मितेश कुमार जे. शा बनाम। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [कृष्णा मुरारी, जे।]

(4) जहाँ एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं है, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है। अपराध , एक
पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है जैसा कि धारा के तहत विचार किया गया है।

155 (2) कोड का;

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार;
(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है;

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से भाग लिया जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और उसे निजी और व्यक्तिगत कारणों से रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

नाराज़गी "।

45. इस उक्ति को तत्काल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लागू करते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से इसके दायरे में आता है

उपरोक्त निर्णय में सूचीबद्ध सात श्रेणियों में से पहली, तीसरी और पांचवीं श्रेणी। इसलिए मामला इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वारंट करता है, और उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने में गलती की है। हम पाते हैं कि एक नागरिक विवाद की रूपरेखा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इस तरह अनिवार्य रूप से इसे आपराधिक रंग दिया गया है।

46. हाल ही में, यह न्यायालय रणधीर सिंह बनाम के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य ने फिर से लंबे समय से चले आ रहे इस सिद्धांत को दोहराया है कि आपराधिक कार्यवाही का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 33. ..... इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस उद्देश्य के लिए संयम से किया जाना चाहिए। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। शिकायत आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह आरोप की प्रकृति और आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्वों पर निर्भर करता है।

उपस्थित हैं या नहीं, उनका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सिविल लेनदेन का खुलासा करने वाली शिकायत

आपराधिक बनावट भी हो सकती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय को यह देखना है कि क्या नागरिक प्रकृति का विवाद दिया गया है।

आपराधिक अपराध का रंग। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर निकाले गए परमजीत बत्रा (उपरोक्त) में किया गया था।

47. इसके अलावा, इस न्यायालय ने असंख्य मामलों में एक नागरिक विवाद को आपराधिक रंग देने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है, जो केवल एक नागरिक विवाद के विपरीत एक आपराधिक मामले में दी गई अपेक्षाकृत त्वरित राहत का लाभ उठाने के लिए किया गया है। इस तरह की कवायद और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

48. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, विवादित

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 13.08.2019 आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। 2016 का विवादित एफ. आई. आर. सं. 185 दिनांकित 29.03.2016 और C.C.No में कार्यवाही। छठे अतिरिक्त सी. एम. एम., बेंगलुरु की फाइल पर 2017 का 20609, दिनांक 29.03.2017 के खिलाफ आरोप पत्र के अनुसरण में

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,419,420 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को खारिज कर दिया जाता है।

49. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।